बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र010– ख0वि0अधि0 –09/2020(पार्ट) 128 खाद्य, पटना/दिनांक– 11-01-21

प्रेषक,

विनय कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :– खरीफ विपणन मौसम, 2020–21 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत राज्य के पंजीकृत किसानों से धान अधिप्राप्ति हेतु निर्गत कार्ययोजना एवं मार्ग निर्देश की कंडिकाओं में परिवर्तन किये जाने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्र सं0 4442 दिनांक 23.11.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसांगिक पत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि विभागीय पत्र सं0 4442 दिनांक 23.11.2020 के द्वारा खरीफ विपणन मौसम, 2020–21 अंतर्गत राज्य के पंजीकृत किसानों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति किये जाने से संबंधित विस्तृत कार्य–योजना एवं मार्गनिर्देश प्रेषित किया गया था। उल्लेखनीय है कि दिनांक 10.12.2020 को खरीफ विपणन मौसम 2020–21 में धान अधिपाप्ति की उच्च स्तरीय समीक्षा की गयी थी जिसमें प्राप्त निर्देशो के आलोक में विभागीय पत्र संख्या 4442 दिनांक 23.11.2020 द्वारा निर्गत संयुक्त हस्ताक्षरित कार्ययोजना एवं मार्गनिदेश के कतिपय कंडिकाओं में संशोधन आवश्यक है।

उपर्युक्त के आलोक में खरीफ विपणन मौसम 2020–21 अंतर्गत धान अधिप्राप्ति हेतु पूर्व निर्गत कार्ययोजना एवं मार्गनिर्देश के विभिन्न कंडिकाओं में उन कंडिकाओं के सम्मुख अंकित पुनरीक्षित निदेशों को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है :–

क्र0 सं0	कंडिका	वर्तमान दिशा निर्देश	संशोधित दिशा निर्देश
01	कंडिका–01 की उपकंडिका–03 का क्रम संख्या–3	धान अधिप्राप्ति की अवधि दिनांक 23.11.2020 से 31.03.2021 तक।	धान अधिप्राप्ति की अवधि दिनांक 23.11.2020 से 31.01.2021 तक।
01	कंडिका–02 बिन्दु संख्या–08	पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा सहकारिता विभाग के वेबसाईट पर निबंधित किसानों से ही धान क्रय किया जाएगा। वैसे किसान जिनकी भूमि दो से अधिक पंचायतों में अवस्थित है, उनके द्वारा सम्पूर्ण धान उनके निवास के पंचायत से सम्बद्ध पैक्स में ही दिया जा सकेगा।	पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित किसानों से धान क्रय किया जायेगा। वैसे किसान जिनकी भूमि दो से अधिक पंचायतों में अवस्थित है, उनके द्वारा सम्पूर्ण धान उनके निवास के पंचायत से सम्बद्ध पैक्स में ही दिया जा सकेगा।
02	कंडिका–02 बिन्दु संख्या–09	जो किसान अपनी जमीन पर खेती नही करते है, वैसे किसानों के ऑन–लाईन पंजीयन हेतु भूमि की विवरणी के साथ फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर आवेदन प्राप्त किए जाएँगे एवं वैसे किसान खेती की जाने वाली भूमि एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र के सत्यापन के उपरांत ऑन–लाईन पंजीकरण करा सकते हैं। ऐसे किसानों के आवेदन के सत्यापन हेतु जिला स्तर/प्रखंड स्तर/पंचायत स्तर पर सहकारिता विभाग द्वारा सत्यापन एवं ऑन–लाईन पंजीकरण की व्यवस्था लागू की जायेगी, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो। इसकी व्यवस्था सहकारिता विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।	कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑन लाईन निबंधित गैर रैयत श्रेणी के कृषिकों से धान अधिप्राप्ति का कार्य किया जायेगा।

03	कंडिका–02 बिन्दु संख्या–10	किसानों से धान का क्रय संबंधित किसानों से स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रति किसान अधिकतम सीमा 200 (दो सौ) क्विंटल तक निर्धारित रहेगी ताकि किसानों को न्यनूतम समर्थन मूल्य का लाभ अधिक से अधिक मिल पाये।	किसानों से धान का क्रय संबंधित किसानों से स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रति किसान अधिकतम सीमा 250 (दो सौ पचास) क्वीं0 तक निर्धारित रहेगी, ताकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ अधिक से अधिक मिल पाये।
04	कंडिका–2 बिन्दु संख्या–11	वैसे किसान जो दूसरे की जमीन पर खेती करते है, वे संबंधित किसान सलाहकार/वार्ड सदस्य से दूसरे की जमीन पर खेती करने से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे तथा ऑन–लाईन पंजीकरण कराने के पश्चात उनसे अधिकतम 75 क्वीं0 धान की अधिप्राप्ति की जाएगी।	वैसे किसान जो दूसरे के जमीन पर खेती करते है, उनसे कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधन के पश्चात फोटोयुक्त पहचान पत्र (आधार कार्ड एवं अन्य मान्यता प्राप्त पहचान पत्र) तथा उनके द्वारा प्रयुक्त भूमि का रकवा /क्षेत्रफल से संबंधित स्वघोषणा पत्र पर अपने आवास से संबंधित वार्ड सदस्य या पंचायत से किसान सलाहकार की अनुशंसा के आधार पर अधिकतम 100 (एक सौ) क्वींटल धान की अधिप्राप्ति की जायेगी।
05	कंडिका–2 बिन्दु संख्या–12	किसानों का ऑनलाईन पंजीकरण आधारित डाटाबेस पर ही किसानों से धान क्रय किया जाएगा। सहकारिता विभाग द्वारा तैयार अधिप्राप्ति ऑनलाईन सॉफटवेयर पर किसान का ऑनलाईन डाटाबेस संधारित होगा। सहकारिता विभाग द्वारा किसानों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा, जो स्क्रीनिंग के बाद वेबसाईट पर अपलोड होगा। छूटे हुए किसानों/संशोधित इच्छुक किसानों का ऑनलाईन पंजीकरण वसुधा केन्द्रो/प्रखंड के माध्यम भी किया जाएगा, जिसमें किसानों की जमीन से संबंधित कागज एवं परिचय पत्र से संबंधित कागजात स्कैन कर आवेदन के साथ अपलोड होगा एवं उक्त हार्ड कॉपी की एक प्रति स्वहस्ताक्षरित एवं सहकारिता विभाग द्वारा सत्यापित कराकर क्रय केन्द्रों एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा, जो उसका सत्यापन कर Authenticate करेंगें। किसानों का निबंधन, सत्यापन की पूर्ण जबावदेही जिला सहकारिता पदाधिकारी की होगी ।	किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की बिक्री के लिए कृषि विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत निबंधन संख्या के आधार पर सहकारिता विभाग के वेबसाईट www.epacs.bih.nic.in पर अपने धान की उपज, भूमि तथा बैंक खाता संबंधी सूचनाएँ अंकित करनी होगी। ऐसा करते समय किसानों को किसी प्रकार के प्रमाण पत्र समर्पित करने की आवश्यकता नहीं होगी और उनके आधार संख्या का सत्यापन ऑनलाईन पद्धती से स्वतः कर लिया जायेगा। तत्पश्चात किसानों के द्वारा OTP के माध्यम से दर्ज सूचनाओं का सत्यापन करने के पश्चात सम्बद्ध पैक्स/ व्यापार मंडल पर अधिकतम सीमा तक धान की बिक्री न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर सकेंगे और 48 घंटे के भीतर उनके बैंक खाते में सीधे राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। गैर रैयती किसानों द्वारा सूचनाएँ दर्ज करने के पश्चात पूर्व विहित प्रपत्र में स्वः घोषणा पत्र स्वतः सृजित होंगे जिसे डाउनलोड कर किसान सलाहकार या वार्ड सदस्य के माध्यम से पूर्व की तरह सत्यापन किया जाएगा। किसानों द्वारा सहकारिता विभाग के वेबसाईट पर सूचनाएँ दर्ज करने और OTP के माध्यम से सत्यापन के पश्चात उक्त सूचनाएँ प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के Login पर उपलब्ध होगी और प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के अनुमोदन के पश्चात ऑनलाईन रूप से ये सूचनाएँ पैक्स/व्यापार मंडल तक पहुँच जाएगी। प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार अथवा संदेह/ आरोप की स्थिति में संबंधित किसानों के संबंध में आवश्यक जांच की जायेगी और तद्नुसार धान अधिप्राप्ति का अनुमोदन किया जायेगा।

06	कंडिका–3(II) बिन्दु संख्या–02	किसानों का ऑनलाईन पंजीकरण	कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत किसान।
07	कंडिका–3(v) बिन्दु संख्या–01	भूमि सम्बन्धी दस्तावेज–अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र/हाल की माल गुजारी रसीद– इनमें से कोई एक। राजस्व रसीद/भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र की संभावित जालसाजी को रोकने के लिए प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी के हस्ताक्षर का नमूना निगम क्रय केन्द्र एवं पैक्स क्रय केन्द्र को उपलब्ध कराया जाएगा। यह भी सुनिश्चित हो कि एल0पी0सी0 अंचल कार्यालय से निर्गत हो तथा उस पर ज्ञापांक एवं दिनांक अंकित होना अनिवार्य होगा, साथ ही उसकी एक प्रति अंचल कार्यालय में उपलब्ध रहेगी। किसानों द्वारा समर्पित सभी दस्तावेज स्वअभिप्रमाणित होना आवश्यक है। ऑन–लाईन पंजीकरण कराने में किसी तरह की कठिनाई होने पर प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।	भूमि सम्बन्धी दस्तावेज– अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत हाल की माल गुजारी रसीद। राजस्व रसीद की संभावित जालसाजी को रोकने के लिए निर्गत करने वाले अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी के हस्ताक्षर का नमूना निगम क्रय केन्द्र एवं पैक्स क्रय केन्द्र को उपलब्ध कराया जायेगा। किसानों द्वारा समर्पित दस्तावेज स्वअभिप्रमाणित होना आवश्यक है।
08	कंडिका–3(v) बिन्दु संख्या–03	अगर किसी दूसरे की जमीन पर खेती कर रहें हों तो ऑनलाईन पंजीकरण हेतु आवश्यक कागजात निम्नवत् होंगे:– 1. अपनाफोटो 2. पहचान पत्र (आधारकार्ड एवं अन्य मान्यता प्राप्त पहचान पत्र) 3. बैंक पासबुक 4. धान उत्पादन में उनके द्वारा प्रयुक्त भूमि का रकबा/क्षेत्रफल से संबंधित स्व0 घोषणा पत्र (इस घोषणा पत्र पर अपने आवास से संबंधित वार्डसदस्य या पंचायत से किसान सलाहकार की अनुशंसा अनिवार्य होगी)।	अगर किसी दूसरे की जमीन पर खेती कर रहें हो तो उनके लिए निम्न कागजातों की आवश्यकता होगी :– 1. अपना फोटो 2. पहचान पत्र (आधार कार्ड एंव अन्य मान्यता प्राप्त पहचान पत्र) 3. बैंक पासबुक 4. धान उत्पादन में किसानों के द्वारा प्रयुक्त भूमि का रकबा/क्षेत्रफल से संबंधित स्व0 घोषणा पत्र (इस घोषणा पत्र पर अपने आवास से संबंधित वार्ड सदस्य या पंचायत से किसान सलाहकार की अनुशंसा अनिवार्य होगी)
09	कंडिका–3(v) बिन्दु संख्या–04	क्रय के क्रम में पंजीकृत किसानों की सूची से मिलान सुनिश्चित किया जाएगा तथा सत्यापित करना।	क्रय के क्रम में कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत किसान की सूची से मिलान सुनिश्चित किया जायेगा तथा सत्यापित करना।
10	कंडिका–4 (iv) बिन्दु संख्या–04	चूँकि किसानों के ऑनलाईन पंजीकरण का दायित्व सहकारिता विभाग को सौंपा गया है, इसलिए पंजीकृत किसानों का डाटा राज्य के नोडल एजेन्सी बिहार राज्य खाद्य निगम, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं सहकारिता विभाग को प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाएगा। इस डाटाबेस के आधार पर ही बिहार राज्य खाद्य निगम पैक्स/व्यापार मंडलों से प्राप्त किये गये सी0एम0आर0 के विरुद्ध भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।	सहकारिता विभाग द्वारा कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत किसानों का डाटा सत्यापित किये जाने के पश्चात सत्यापित डाटाबेस के आधार पर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा पैक्स/व्यापार मंडलों से प्राप्त किये गये सी0एम0आर0 के विरूद्ध भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

उपर्युक्त संशोधन प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक प्र010– ख0वि0अधि0 –09/2020(पार्ट) 128 खाद्य, पटना/दिनांक 11-01-21
प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक प्र010– ख0वि0अधि0 –09/2020(पार्ट) 128 खाद्य, पटना/दिनांक 11-01-21
प्रतिलिपि – सभी जिला के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव/सभी आरक्षी अधीक्षक/प्रशासक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सहकार के सचिव।

ज्ञापांक प्र010– ख0वि0अधि0 –09/2020(पार्ट) 128 खाद्य, पटना/दिनांक 11-01-21
प्रतिलिपि – प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, खाद्य भवन, पटना/सचिव, सहकारिता विभाग/निबंधक, सहयोग समितियॉ, बिहार, पटना एवं महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक प्र010– ख0वि0अधि0 –09/2020(पार्ट) 128 खाद्य, पटना/दिनांक 11-01-21
प्रतिलिपि – सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक प्र010– ख0वि0अधि0 –09/2020(पार्ट) 128 खाद्य, पटना/दिनांक 11-01-21
प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।